न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 26/20175

बनाम

प्रार्थी:—
1. तहसीलदार(भूमिधारक), पाली

अप्रार्थी:—
1. एल एम जे सर्विसेज लि. हैड ऑफिसस 30 जवाहर लाल नेहरू रोड, कलकत्ता जरिये डायरेक्टर हुलास चंद जैन पुत्र श्री मदनलाल जाति जैन साकिन ए 101 कमला नेहरू नगर विस्तार योजना, जोधपुर

उपस्थिति:—
1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णय:— दिनांक - 21-10-2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद पाली चक प्रथम पटवार मण्डल पाली प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 773/4 कुल रकबा 1.10 बिघा किस्म बारानी अव्वल भूमि अप्रार्थी के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्णित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है, जिसमें खसरा नंबर 773/4 कुल रकबा 1.10 बिघा किस्म बारानी अव्वल में अप्रार्थी द्वारा एल एम जे सर्विसेज हेड आफिस 30 जवाहर लाल नेहरू रोड कलकता जरिए डायरेक्टर हुलास चन्द जैन पुत्र मदन लाल जाति जैन साकिन 101 कमला नेहरू नगर विस्तार योजना जोधपुर द्वारा भूमि का मौके पर एल एम जे मारूती सुजकी शेरूम एवं सर्विस सेन्टर बनाकर उक्त भूमि को अकृषि उपयोग किया गया है। अप्रार्थी द्वारा वर्णित भूमि का बगैर किसी वैध अनुमति अथवा आज्ञा प्राप्त किये एल एम जे मारूति सुजुकी शेरूम एवं सर्विस सेन्टर बनाकर उक्त कृर्षि भूमि के भौतिक स्वरूप एवं उर्तरता शक्ति को नष्ट कर उत्पादकता को खत्म किया गया है। इस प्रकार खसरा नंबर 773/4 कुल रकबा 1.10 बिघा किस्म मे अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर से गैर कृर्षि उपयोग किया जाना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। उपरोक्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर अप्रार्थी को बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने जरिये प्रार्थना पत्र क्रमांक भू.अ./19/9315 दिनांक 09.10.2019 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि खसरा नंबर 773/4 कुल रकबा 1 बिघा 10 विस्वा भुमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भुमि को धारा 177 रा.का. अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तत किया गया था जो इस प्रकरण में ग्राम पाली चक प्रथम के खसरा नंबर 773/4 रकबा 1 बिघा 10 विस्वा भूमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है। इस प्रकरण में नगर परिषद पाली द्वारा संयुक्त रूप से रूपान्नतरण के नियमन पैटे स्वविवेक से गणना के आधार से रूपान्तरण राशि जरिये पुस्तक संख्या 02/048 दिनांक 11.08.2016 को वसुल हो चुकी हैं।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। सरहद पाली प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 773/4 कुल रकबा 1.10 बिघा किस्म बारानी अव्वल है। वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षैत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास,पाली को सूचित किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 21-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner